

धुवां वास्ते जवाब एवं शेष की तलवी हेतु दिनांक  
30-10-25 को पेश हो।

30-10-25

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम पक्षकारान उप। धुवां  
पत्रावली दिनांक 31-10-25 को पेश हो।

31-10-25

पत्रावली पेश हुई। बकुलाम पक्षकारान उपस्थित।  
इस प्रकार से संबंधित मूल दाये में आ.पत्र 07R11  
व धारा 151 जा.दी. स्वीकार होने पर मूल दाये  
खारिज हो चुका है।

चूंकि प्रकरण से संबंधित मूल दाये खारिज  
हो जाने पर इस आ.पत्र को यथाथे जाने का  
कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTI को  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय  
द्वारा जारी शुद्ध स्थगन आदेश दिनांक 03-09-25  
भी निरस्त किया जाता है।

पत्रावली के मूल नुमांदा होकर नंबर से कानून  
संलग्न मूल वाक हो।

उपखण्ड अधिकारी  
भुसावर (भरतपुर) राज